INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL
ISSN NO : 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 14 | ISSUE - 7 | AUGUST – 2024

डॉ. भीमराव अंबेडकर के सामाजिक सुधारो का भारतीय समाज पर प्रभावः एक सिंहावलोकन

यादवेंद्र कुमार आर्य
असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान,
गया प्रसाद स्मारक राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
अंबारी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश.

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा किए गए सामाजिक परिवर्तन हेतु कार्यों का विश्लेषण से संबंधित है –

इसमें बाबा साहब के द्वारा चतुर्थ वर्ण व्यवस्था के खिलाफ जो आंदोलन चलाया। हालांकि सबसे पहले बहुजन आंदोलन का शुभारंभ बुद्ध के काल से शुरू हुआ और अंबेडकर के काल तक चला। डॉ आंबेडकर के समय दलित आंदोलन संपूर्ण भारत में फैला था। डॉ अंबेडकर ने महामना ज्योतिबा फुले को अपना राजनीतिक गुरु माना क्योंकि ज्योतिबा फुले एक महान सामाजिक परिवर्तन के महान क्रांतिकारी थे। बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर एक महान समाज सुधारक, दार्शनिक, राजनेता, विधिवेत्ता एवं आधुनिक युग के मनु के नाम से संबोधित किया जाता है। बाबा साहब एक ऐसे समाज का विकास करना चाहते थे। जिसमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का साम्राज्य हो। बाबा साहब लोगों में सामाजिक चेतना पैदा करना चाहते थे इसके लिए सामाजिक विकास एवं सामाजिक समस्याओं के सुधार के लिए सामाजिक चेतना को अति आवश्यक मानते थे उनका मानना था कि सामाजिक चेतना ही व्यक्ति के अधिकारों का रक्षा करती है। अपने इन्हीं प्रयासों के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर का सामाजिक संघर्ष का प्रमुख उद्देश्य उपेक्षित वर्गों पर होने वाले अत्याचारों को खत्म करना था। प्रस्तुत शोध पत्र में डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में किए गए बदलाव का वर्णन किया गया है।

शब्द कुंजी—डॉ आंबेडकर के सामाजिक विचार, सामाजिक चेतना छुआछूत भेदभाव।

प्रस्तावनाः

बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर एक महान विद्वान एवं उच्च कोटि के समाज सुधारक संविधान निर्माता 20वीं सदी के महान विभूति थे। डॉ भीमराव अंबेडकर ने भारतवर्ष में पहले विभिन्न सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया प्रथम कार्य समाज सुधार से संबंधित था। जिसके लिए उन्होंने 1920 में एक सामाजिक संगठन बनाने के उद्देश्य से एक सभा का आयोजन किया जिसकी अध्यक्षता स्वयं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की। उन्होंने हजारों अछूतों की उपस्थिति में अत्यंज्य संघ नमक सामाजिक संगठन की स्थापना की।

डॉ भीमराव अंबेडकर समाज मनोविज्ञान के इस सिद्धांत को लागू किया जिसमें यह वर्णित है कि समाज में किसी भी प्रकार का आंदोलन चलाने अथवा समाज को आंदोलित करने के लिए, पहले समाज के उसे वर्ग को संगठित करने की आवश्यकता होती है इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 9 मार्च 1924 को मुंबई,

परेल के दामोदर हाल में समाजसेवकों की बैठक की उसे बैठक में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया गया। इसी सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने उद्घोष वाक्य तय किया,

'पढ़िए, संगठित रहिए और आंदोलन कीजिए'।

मानवाधिकारों का जन्म मानवतावाद से हुआ था और संपूर्ण विश्व में मानवतावाद के प्रथम संस्थापक महामानव भगवान बुद्ध थे, यद्यपि महामानव बुद्ध के बाद ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह और इस्लाम धर्म के प्रणेता पैगंबर मोहम्मद साहब भी मानवतावादी हुए थे, परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से महात्मा बुद्ध प्राचीनतम मानवतावादी महामानव थे। बुद्ध का मानवतावाद कितना उपयोगी गंभीर और व्यापक है, जिसकी तुलना दुनिया का कोई भी मानवतावाद नहीं कर सकता। बुद्ध मनुष्य में जाति, वर्ण, आकृति, लिंग, धन संपदा, देश कॉल आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेद नहीं मानते थे। इसलिए उनके धर्म के दरवाजे सभी वर्णों और जातियों के स्त्री पुरुषों के लिए खुले रहते थे। बुद्ध के पूर्व एवं समकालीन वैदिक धर्म की सामाजिक मान्यताओं और आस्थाओं ने शूद्रों, स्त्रियों और निम्न जातियों के मानवाधिकारों अर्थात् समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को समाप्त करके उन्हें पशु बना दिया था। डॉ भीमराव अंबेडकर की शिक्षा दीक्षा अमेरिका और लंदन में हुई थी। अपने अध्ययन के मध्य उन्होंने देखा कि पश्चात देश आदि में मानवीय मूल्यों और मानवता की ओर अग्रसर होने के लिए मानवाधिकारों की स्थापना के लिए कार्य कर रहे हैं। जबकि भारत देश में भेदभाव, छुआछूत और भुखमरी का साम्राज्य छाया हुआ है और भारत में हैवानियत, पाशविकता और अमानवता का बोलबाला है। डॉ आंबेडकर के चेतन और अचेतन मन में घर के लिए और उन्होंने निष्कर्ष प्राप्त किया कि भारत में व्याप्त जातिवादी हैवानियत और पाशविकता को समाप्त करने के लिए यहां पर ऐसी व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें मानवाधिकारों का प्रावधान हो।

डॉ अंबेडकर की मानवाधिकार की प्रति प्रतिबद्धता इस रूप से प्रतिध्वनित होती है, वह कहते हैं 'मैंने जो ज्ञान शक्ति प्राप्त की है, उसका उपयोग मै अपने परिवार के लिए और अपनी जाति के लिए ही नहीं करना चाहता। मैं उसका उपयोग संपूर्ण समाज के उत्थान के लिए करना चाहता हूं। इसके लिए मैंने कई योजनाएं बनाई है। यदि उसे तरह की योजनाएं सफल हुई, तो शोषित समाज और और अस्पृश्य समाज दोनों का लाभ होगा। और अस्पृश्यो की समस्याएं भयंकर हैं और कठिन है। उन सभी सवालों को मैं हल नहीं कर पाऊंगा, इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूं। किंतु भी सभी सवाल दुनिया के सामने रखकर मैं उनकी ओर सारे विश्व का ध्यान आकर्षित कर पाऊंगा, इसका मुझे यकीन है। अस्पृश्यो की समस्याएं भयंकर हिमालय हैं। इस हिमालय से टकराकर मैं अपना सिर फोड़ने वाला हूं। समस्याओं का यह हिमालय ढ़हा नहीं, तब भी मेरा लहू–लुहान सिर देखकर 7 करोड़ अछूत लोग उस हिमालय को नष्ट करने के लिए एक पांव पर तैयार हो जाएंगे और उसके लिए वे अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आप लोगों ने आपस में इसी प्रकार से मनमुटाव बढ़ाने का काम किया, तो मैं नहीं बल्कि दुनिया की कोई भी शक्ति आपका उत्थान नहीं कर सकती।

डॉ0 अंबेडकर ने अस्पृश्यो को संगठित करके संघर्ष के लिए तैयार करने हेतु 4 सितंबर 1927 को समाज समता संघ की स्थापना की । इस संघ के उद्देश्य प्रमुख निम्नलिखित हैं।

1. सभी मानव प्राणी समान हैं। अपने भीतर के मनुष्यत्व के उत्थान के लिए कारण साबित होने वाले हर प्रकार के संसाधन पर, सुविधाओं पर और अवसर पर हर आदमी का समान हक होगा।
2. संघ का विश्वास है कि समानता का हक पवित्र, अबाध और अटूट है।
3. संघ का विश्वास है कि समानता का हक हर व्यक्ति का जन्मजात अधिकार है, फिर उसका वंश, वर्ण, जाति और लिंग कुछ भी क्यों ना हो
4. इस संघ का विश्वास है कि सामाजिक समानता की स्थापना के बगैर समाज का सामूहिक जीवन व्यवस्थित ढंग से चलना संभव नहीं है।
5. यह संघ उन सभी विचारो का, कार्यों का और संस्थाओं का निषेध करती है, जो समाज में समानता के सिद्धांतों की स्थापना के लिए रुकावट का काम करते हैं।
6. इस संघ का लक्ष्य है कि उपरोक्त सभी सिद्धांतों का सभी संभव उपायों से अमल किया जाए।

डॉ अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा के तत्वाधान में मानवाधिकारों के लिए संघर्ष आरंभ कर दिया था। सभा ने पद दलितों में स्वाभिमान, स्वालंबन और स्व –उद्वार जागृत करने का तथा मानवाधिकार के प्रति सजग करने का कार्य आरंभ कर दिया था। सबसे पहले उन्होंने शिक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित किया। 1925 में इस संस्था के द्वारा सोलापुर में छात्रावास की व्यवस्था की गई। छात्रावास के छात्रों के लिए सभा के द्वारा कपड़ों, पुस्तकों और भोजन की व्यवस्था की गई। सभा का उद्देश्य छात्रों में ज्ञान प्राप्ति करने के लिए रूचि उत्पन्नन करना और समाज सेवा के प्रति रुचि पैदा करना था।

डॉ अंबेडकर ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समय–समय पर और अस्पृश्य समाज को प्रेरणा देने हेतु भाषण दिए, उन्होंने कहा कि 'तुम्हारे ये दीन–दुखी चेहरे देखकर और करुणा जनक शब्द सुनकर मेरा ह्रदय फटा जाता है। युगों से तुम गुलामी के दरिया में सड़ रहे थे। फिर भी तुम्हारी यही भावना है कि हमारी यह दुर्दशा ईश्वर निर्मित है। तुम मां के गर्भ में ही क्यों नहीं मर गए। मनुष्य योनि में आकर तुम दुनिया के दुख, दरिद्रता और दासता के बड़े चित्र की भयानकता अपने पतित और अपमानित दुखी जीवन से और बढ़ा रहे हो। यदि तुम्हारे जीवन का पुनर्जीवन नहीं हो रहा है, तो तुम्हें इस दुनिया में जीने का क्या अधिकार है? बेहतर है कि तुम इस दुनिया से हट जाओ और दुनिया के दुखों का भार हल्का करो। अन्य इंसानों की भांति तुम भी इंसान हो। स्वयं की कार्यों से उत्थान करने की स्वतंत्रता सभी को है। तुम किस देश के वासी हो, तुम्हें अन्न, वस्त्र और मकान अन्य भारतीयों की भांति से मिलने चाहिए, जो कि तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यदि तुम्हें स्वाभिमान से जीना है, तो स्वालंबन की एक स्व–उन्नति का मार्ग है, इसका पूरा ध्यान रखों।

डॉ0 अंबेडकर ने मानवाधिकार की प्राप्ति के लिए घोषणा करते हुए कहा था,ष्यह तुम्हारे हित में है कि तुम हमारे मालिक बने रहो। लेकिन इसमें हमारा हित क्या है कि हम ही तुम्हारे गुलाम बने रहें। इसलिए इसके विरुद्ध संघर्ष करना और मानवता के अधिकारों को पाना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है

21 मार्च 1920 के अधिवेशन में कोल्हापुर के महाराज छत्रपति शाहूजी ने उत्साहवर्धक ऐतिहासिक भाषण दिया इसमें उन्होंने कहा कि, अछूतों को अपना रक्षक डॉक्टर अंबेडकर के रूप में मिल गया है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि अंबेडकर अछूतों की दासता की बेड़ियों को सदा के लिए काटेंगे और संसार में पूर्ण रूप से ख्याति प्राप्त करेंगे। ये दीन–हीन, दलितों और शोषितों के नेता के रूप में चमकेंगे। इनकी प्रसिद्धि संसार भर में चमकेगी इनका व्यक्तित्वत महान है।

डॉ अंबेडकर ने मानवाधिकार की प्राप्ति के लिए संघर्ष जारी रखते हुए एक सभा में अपने अध्यक्ष के भाषण में अस्पृश्यों को संघर्ष के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आप गुलामी खत्म करें।

डॉ अंबेडकर के मानवाधिकार के लिए संघर्ष को देखकर उनके पास उच्च वर्ग के लोगों द्वारा धमकी भरे पत्र भेजे जाने लगे, जिस पर उन्होंने कहा किष मुझे कुछ धमकी देने वालों के पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमे लिखा गया है कि अगर तुम कोंकण के दलितों की जागृति के लिए जाओगे, तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। मनुष्य मृत्यु प्राणी है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति स्वाभिमान के तत्व के लिए और मनुष्य जाति के अच्छे दिन प्राप्त हो, इसके लिए देह अर्पित करने में ही सच्ची वीरता है। हम पतित ना होकर सच्चे वीर हैं। स्वाभिमान और दिशाभियान विहीन जीवन जीने जैसी दूसरी निंदनीय बात नहीं है।

डॉ अंबेडकर के द्वारा वर्ष 1927 मे अस्पृश्यता के विरुद्ध और मानवाधिकारों की प्राप्ति हेतु गोरेगांव युद्ध स्मारक के सामने एक सभा का आयोजन किया गया उसे सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि महार जाति के सैकड़ो सैनिकों ने अनेक लड़ाईयों में सरकार को सफलता दिलाई, उसे महार जाति के युवकों को सैन्य प्रवेश वर्जित कर सरकार ने उनके साथ विश्वास घात किया है। यह सच है कि ब्रिटिशों के पक्ष में रहकर महार सैनिक युद्ध करें, यह कोई विशेष गर्व की बात नहीं है, लेकिन वह ब्रिटिशों की मदद के लिए क्यों गए? वे इसलिए गए की स्पृश्य हिंदुओं ने उन्हें नीचे मानकर उनके साथ कुत्ते बिल्ली से भी बदतर बर्ताव किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पेट पालने का कुछ साधन न रहने से निरूपाय होकर वे ब्रिटिशों की फौज में भर्ती हुए। अंत में उन्होंने ब्रिटिश सरकार और समाज को चेतावनी देते हुए कहा कि, महारो पर फौज में प्रवेश संबंधी रोक ब्रिटिश सरकार हटा दे, अगर सरकार ने यह बात नहीं मानी तो सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया जाएगा।

डॉ आंबेडकर मनुवादी अंधविश्वासों एवं पाखंडों को दूर करने के लिए उन्होंने अस्पृश्यो को जागृत करने के लिए मंदिर प्रवेश के लिए संघर्ष किया। और यह बताना चाह की मंदिर प्रवेश से हमारी समस्याओं का

अंत नहीं होगा परंतु इस बात को समझने हेतु उन्होंने उन्होंने नासिक के कालाराम मंदिर का आंदोलन चलाया। जिस समय डॉक्टर अंबेडकर मंदिर प्रवेश की बात कर रहे थे तो जातिवादी हिंदुओं के बीच अपनी सम्मानजनक जगह तलाश कर रहे थे। धीरे–धीरे जब कारवां आगे बढ़ने लगा तो उन्हें एहसास होने लगा कि यह सब व्यर्थ है। इसलिए 1930 में नासिक में काला राम मंदिर की सत्याग्रह के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आज हम मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन मंदिर प्रवेश से सारी समस्याएं हल नहीं हो जाएंगे। हमारी समस्या बड़ी विकट व विशाल है। यह सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक व शैक्षिक है। कालाराम मंदिर प्रवेश का मुद्दा हिंदुओं से अपील करना है। जातिवादी हिंदुओं ने हमें सदियों से वंचित रखा है। चाहे वही हिंदू हमें मानवीय अधिकार देना चाह रहे हैं लेकिन मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में यह सवाल उठेगा कि क्या हिंदू मानसिकता के लोग हमें इंसान स्वीकार करने को तैयार हैं, यह सवाल इस सत्याग्रह में परखा जाएगा। पर मंदिर में प्रवेश से हमारी समस्या का समाधान नहीं होने वाला। लेकिन यह जातिवादी हिंदुओं की नियत को रखने का साधन है कि वे नए युग की जरूरत महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप हमें स्वीकार करने को तैयार हैं। इस प्रकार मानव से मानव के रूप में व्यवहार करना, उन्हें मानवीय अधिकार दिया जाना, मानवीय सम्मान को परखा जाना।

महाड़ सत्याग्रह

मुंबई विधानसभा का सदस्य बनने के उपरांत डॉ अंबेडकर को सरकार के सामने अस्पृश्यो की समस्याओं को प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि 1923 में एक सदस्य के प्रस्ताव द्वारा, जिससे 1926 में दोबारा पारित किया गया था, वह प्रस्ताव केवल कागजों की शोभा बढ़ा रहा था। महाड़ की नगर पालिका ने अभी तक चवदार तालाब के पानी का उपयोग, अछूतों द्वारा करने के लिए किसी भी प्रकार की सार्थक एवं प्रभावकारी कार्यवाही नहीं की गई थी। इसका प्रमुख कारण यह था कि मनुवादी सवर्णों के भारी विरोध के कारण चवदार तालाब का पानी पीने से अस्पृश्यो को वंचित रखा गया था डॉ अंबेडकर ने 20 मार्च 19 27 को महाड़ में चवदार तालाब को मनुवादियों से मुक्त करने के लिए जिला कोलाबा में बहिष्कृत सम्मेलन का आयोजन करने का निश्चय किया। जिसके फल स्वरुप युवकों, बुजुर्गों एवं महिलाओं ने महाड़ मैं आना प्रारंभ कर दिया। इस सम्मेलन में लगभग 5000 प्रतिनिधि पहुंचे। महाड़ के सवर्ण नेताओं में बापू राव जोशी, शंकर भाई धारिया, तुलजा भाई भी उपस्थित थे। डॉ अंबेडकर ने सभा में अपना भाषण दिया और कहा कि, हर व्यक्ति के मन में अपनी मातृभूमि के प्रति गौरव और प्रेम होता है। मेरे पिताजी पेंशनर बनने के बाद स्थाई निवास हेतु दापोली आ गए। दापोली की पाठशाला में मैंने अपना प्रथम पाठ पढ़ा। परिस्थितिवश मैं चार–पांच वर्ष का था, तब से घाट छोड़कर पठार पर आ गया। अभी तक मैं वहीं पर निवास कर रहा हूं। आज 25 वर्ष के बाद मैं फिर से घाट मैं उतरा हूं, जो प्रदेश प्रकृति के सौंदर्य से श्रृंगारित है, वहां कदम रखकर कोई भी व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है। किंतु मुझे जितना आनंद हो रहा है, उतना दुख भी हो रहा है। इस प्रदेश में और अस्पृश्यो की काफी प्रगति हुई थी। कुछ अभिजात वर्ग को छोड़कर अन्य वर्ग की तुलना में अस्पृश्य वर्ग के लोग शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर चुके हैं।

डॉ अंबेडकर ने कहा कि 'अस्पृश्यता हिंदू धर्म पर लगा हुआ कलंक हीं नहीं, बल्कि हमारी देह पर लगा हुआ कलंक है। जब तक हम यह मान लेते थे कि वह कलंक हिंदू धर्म पर है, तब तक यह काम तुम सौंप दिया था।अब वह हम पर लगा हुआ कलंक है। इसलिए उसे धोने का पवित्र कार्य हमने ही स्वीकारा है।इसे कार्य की समानता के लिए इनमें से कुछ लोगों कों अपना जीवन न्यौछावर करने की आवश्यकता है, तो भी कुछ हर्ज नहीं।'

डॉ अंबेडकर का भाषण ओजस्वीपूर्ण, उत्साहवर्धक, स्वाभिमान जागृत एवं चेतना का निर्माण करने वाला था। सम्मेलन में वहिष्कृत वर्ग की समस्याओं पर प्रकाश डाला गया।उस सभा में जो प्रस्ताव पारित किए गए, वे निम्नलिखित थें।

1. वन विभाग की भूमि अस्पृश्यों को खेती करने के लिए दी जाए।
2. अस्पृश्यो को सरकारी सेवाओं में नौकरी के लिए प्रवेश दिया जाए।
3. मृत्यु पशुओं का मांस खाने के विरुद्ध शासन कानून बनाएं तथा लोग भी मृत्यु मांस का त्याग करें।
4. नशाबंदी की जाए।
5. अनिवार्य शिक्षा का आरंभ किया जाए।

6. छात्रावासों की स्थापना की जाए
7. बाल विवाह प्रथा की समाप्ति की जाये।
8. खेती को प्रोत्साहन दिया जाए।

इन सामान्य प्रस्ताव के अतिरिक्त भी प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए।

क. वहिष्कृत समाज के लोगों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर जल वितरण केन्द्रो का उपयोग कर अपना अधिकार स्थापित करने के प्रयास करने पर वरिष्ठ हिंदू समाज द्वारा उनका वहिष्कार किया जाता है,वे ऐसा नहीं करें तथा बहिष्कृत समाज का सहयोग करें।
ख. वरिष्ठ हिंदू समाज वहिष्कृत वर्ग के व्यक्ति को अपने घरों में नौकरी प्रदान करें।
ग. जातिभेद नष्ट करने के उपायों के अंतर्गत अंतर्जातीय विवाह प्रथा का प्रारंभ किया जाएं।
घ. वहिष्कृत वर्ग के गरीब विघार्थियों को अपने यहां सत्ताह में एक बार बुलाकर भोजन देकर सहायता करें।
ड़. सवर्ण समाज मृत पशुओं को स्वयं उठाकर लें जाने की व्यवस्था करें,इस कार्य के लिए, अब वे अस्पृश्यों पर निर्भर न रहें।

महाड सत्याग्रह के मध्य सभा में एक प्रस्ताव मनुस्मृति दहन का पास किया गया।

'शूद्र जाति का अपमान करने वाला, शूद्रों की प्रगति में बाधा डालने वाला, शूद्रों का मनोबल नष्ट करने वाला, उसकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक गुलामी बरकरार रखने वाला मनुस्मृति नामक धर्म ग्रंथ पवित्र नहीं, अपितु अत्यंत अशोभनीय है।

डॉ भीमराव अंबेडकर ने महाड सत्याग्रह के माध्यम से अस्पृश्यों में अनोखी ऊर्जा का संचार हुआ। इस सत्याग्रह को सामाजिक क्रांति का प्रथम चरण कहा जा सकता है। मनुस्मृति दहन के द्वारा अस्पृश्यों की गरीबी, दुख दर्द और उन पर होने वाले जघन्य एवं पैशाचिक अत्याचारों और अन्यायों की ओर समस्त विश्व का ध्यान आकर्षित हुआ। सामाजिक दासता को जड़ से समाप्त करने का कार्य प्रतीकात्मक रूप से मनुस्मृति दहन से प्रारंभ किया।

उपरोक्त आंदोलन के माध्यम से डॉ आंबेडकर बहिष्कृत समाज में चेतना लाने के लिए आंदोलन चलाया और बताया कि मंदिर प्रवेश मुक्ति का मार्ग नहीं है बल्कि मुक्ति के सामाजिक आर्थिक प्रगति जरूरी है। वह कहते थे 'मंदिरो के दरवाजे अछूतों के लिए खोलना या नहीं खोलना यह तुम्हारे विचार करने की बात है, मेरे आंदोलन की नहीं। यदि तुम समझ सकते हो कि किसी मानव समुदाय को अपमानित करना बुरी बात है तो अपने मंदिरो के दरवाजे खोलकर सभ्य भले आदमी बन जाओ अन्यथा मुझे तुम्हारे मंदिरो में जाने की आवश्यकता नहीं है।

बाबा साहब ने अछूतों की सामाजिक व आर्थिक समस्याओं को देखते हुए कहा कि 'अछूतों की मुक्ति का मार्ग उच्च शिक्षा, उच्च रोजगार और जीविका कमाने के उत्तम ढंगों में निहित है। यदि एक बार वें सामाजिक जीवन में ठीक स्थान पर पहुंच जाएंगे तो उनका आदर होंने लगेगा। यदि एक बार वें सम्मान योग्य बन जाएंगे तो रूढ़िवादी हिन्दुओं में उनके प्रति धारणाएं बदलेगी और यदि उनका दृष्टिकोण नहीं भी बदलें तो अछूतों के आर्थिक हितों को कोई नुक्सान नहीं होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. डॉ धर्मकीर्ति, मानवाधिकारो के पुरोधा डा वी.आर.आंबेडकर, सम्यक प्रकाशन 32/3। पश्चिमपुरी, नई दिल्ली पृ.147
2. डॉ धर्म कीर्ति, मानवाधिकारों के पुरोधा डाक्टर वी.आर.आंबेडकर, सम्यक प्रकाशन 32/3 पश्चिमीपुरी,नई दिल्ली, पृ.149
3. खैरमोडे,चांगदेव भगवान राम, अनुवाद डॉ विमल किर्ति, बाबा साहेब डॉ आंबेडकर जीवन और चिंतन खण्ड 2, 2009 नई दिल्ली,147
4. 'हारे, एम.एल., अनिल नलिनी, डॉ आंबेडकर की संघर्षयात्रा एवं संदेश 2009, नई दिल्ली पृ068
5. शंकरानन्द शास्त्री, युग पुरुष बाबा साहेब डॉ भीमराव आंबेडकर 1990 नई दिल्ली पृ.79

6. शंकरानन्द शास्त्री, युग पुरुष बाबा साहेब डॉ भीमराव आंबेडकर 1990 नई दिल्ली पृ. 79
7. धनंजय कीर, अनुवाद गजानन सुर्वे,बाबा साहेब डॉ आंबेडकरय जीवन चरित्र,1996 नई दिल्ली पृ 12